# न्याय निर्णयन अधिकारी
# एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर

**एफ.एस. प्रकरण संख्या–** 10/2018

**प्रार्थी :–**
सरकार

**बनाम**

**अप्रार्थीगणः–**

1. श्री श्रवण राम पुत्र श्री घेवरराम घांची **(एफ बी ओ, मालिक एवं विक्रेता)**
   मै0 रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर कबीर चौराहा, गांव सालावास जिला जोधपुर
   निवासी– घांचीयों का उपरलावास , नन्दवान, सालावास, जोधपुर।

2. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री किशन (मालिक)
   मै0 पंकज ट्रैडर्स, 21/80 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
   निवासी– देवासी मोहल्ला गांव बिखरनियां कलां, नागौर

3. श्री गोविंदराम पुत्र श्री मदनराम (फर्म मालिक),
   मै0 श्री भयाम फुड प्रोडेक्टर्स, ब्यावर रोड, तबीजी, अजमेर
   निवासी– कुम्हारों का वास, पो0 जसवंताबाद, मेडता, नागोर, राजस्थान।

**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एंव धारा 51 के तहत।**

**उपस्थितिः–**
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 मय अभिभाषक श्री मनीष कृष्ण पुरोहित।

**–: निर्णय :–** **दिनांक :–30.05.2018**

मुझे आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है जिसमें क्रम संख्या 39 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

मुझे आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रंमाक../एच/एफएसएसए/2014/एसपी–01दिनांक 26.10.2014 के द्वारा मेरा पदस्थापन/स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर किया गया जिसमें क्रम संख्या 06 पर मेरा नाम अंकित है ।

मुझे आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार समस्त जिला जोधपुर मेरा कार्य क्षैत्र है।

दिनांक 14.10.2017 को 01:15 पी.एम. मैं रेवत सिंह बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग मैसर्स– रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर कबीर चौराहा, गांव सालावास जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय होटल पर विक्रेता की हैसियत श्री श्रवण राम पुत्र श्री घेवरराम घांची (एफ बी ओ एवं विक्रेता) जैन उम्र 30 वर्ष निवासी– घांचीयों का उपरलावास , नन्दवान, सालावास, जोधपुर

उपस्थित मिले जो दुकान पर आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी भाक्ति)** बेचने हेतु अपने कब्जे मे रखें हुए पाया गया। विक्रेता से वर्ष 2017 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया तो बाद मे प्रस्तुत किया एवं स्वयं की आईडी की रूप में पहचान पत्र की छायाप्रतियां पेश की संलग्न परिवाद है।

फर्म का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी भाक्ति)** दुकान में लगभग 1 लीटर के 10 पैक गत्ता पैकिंग पैकेटस में पडा था। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी भाक्ति)** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय वास्ते था इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह्न की उपस्थिती में विक्रेता को इसकी सुचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने हेतु खरीद कर रहा हूँ । प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है । जो मूल सलंग्न है ।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये भाव से **रूपये 1560/— अक्षरे एक हजार पांच सौ सांठ रूपये मात्र** नगद देकर **घी (डेयरी भाक्ति) 4 लीटर (मात्रा 1 लीटर प्रति पैकेट 4 गत्ता पैकेट्र्स)** मूल ही वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की । जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा **घी (डेयरी भाक्ति) 4 लीटर (मात्रा 1 लीटर प्रति पैकेट 4 गत्ता पैकेट्र्स)** मूल ही तुलवाकर/नपवाकर कर चारों पैकेटों पर लेबल तैयार कर चिपकाये जिनपर नमूना संख्या **एम—1661** व अन्य विवरण अंकित कर विक्रेता । चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया एवं अलग—अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम—1661** हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें गोलाई मे गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग—अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार—चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना **एम—1661** सील चपडी किया उसका मौका फर्द पर अंकित किया । उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की एंव मौके पर मौका फर्द तैयार की जो असल मौका फर्द सलंग्न है ।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र कमांक 32049—50 दिनांक 22.11.2017 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट **एल.एस. 1044/एक्ट/2017/1045 दिनांक 08.11.2017** मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **घी (डेयरी भाक्ति)** का नमूना Butyrorefractometer reading at 40º C 40 & 43.0 की जगह 43.33 पाया गया है जो मानक स्तर से अधिक होने एवं Reichert value मिनिमम 26.0 की जगह 24.27 जो मानक स्तर से कम होने के कारण **अमानक स्तर** (Sub Standard) का होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है ।

मै0 रामदेव किराणा स्टोर द्वारा प्रेशित पत्र में उक्त खाद्य पदार्थ मै0 पंकज ट्रेडर्स से खरीद बिल की छायाप्रति पे । की जिसके आधार पर मेरे द्वारा मै0 पंकज ट्रेडर्स को पत्रांक 55 दिनांक 18.12.2017 को वेट 03 की प्रति, प्रोपाराईटर/पाटनर्स के पहचान पत्र, अग्रिम

खरीद बिल, मै0 रामदेव किराणा स्टोर को बेचे गये खाद्य पदार्थ का बिल हेतु पत्र लिखा गया जिसके जवाब में मै0 पंकज ट्रेडर्स ने दिनांक 07.01.2018 को पत्र प्रेशित किया जिसके साथ वेट 03 की प्रति, श्री अनिल कुमार (मालिक) स्वयं के आधार कार्ड की प्रति, बेचान बिल की प्रति, एवं उक्त खाद्य पदार्थ खरीद बिल की प्रति पेश की। जिसकी प्रति सलंग्न है।

मेरे द्वारा मै0 पंकज ट्रेडर्स के खरीद बिल के आधार पर मै0 श्री राम फुड प्रोडेक्टर्स को पत्रांक 03 दिनांक 17.01.2018 को पत्र लिखा गया जिसमें संबंधित फर्म के फुड लाइसेंस की प्रति, मालिक / भागीदार की सूचना हेतु वेट 03 की प्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, मै0 पंकज ट्रेडर्स को बेचान उक्त खाद्य पदार्थ के बिल की प्रति पेश करने हेतु लिखा गया जिसके जवाब में मै0 भयाम फुड प्रोडेक्टर्स ने वेट 03 की प्रति, फॉर्म बी की प्रति, फर्म के फुड लाइसेंस की प्रति, बेचान बिल की प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की प्रति पेश की। जिसकी प्रति सलंग्न है।

अतः निवेदन है कि बाद तहकीकात अभियुक्तगण को जुर्माना करने की कृपा करे ताकि अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) खाद्य पदार्थ के विक्रय / उपयोग को रोका जा सकें।

अप्रार्थीगण 1 से 3 स्वयं उपस्थित होकर अपने अभिभाषक के मार्फत प्रार्थना पत्र बाबत् जुर्म स्वीकार कर कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा इस प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रार्थी के विभाग में प्रस्तुत कर दिये गये है। अप्रार्थीगण के अपराध की प्रवृति को देखते हुए एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण का निस्तारण करवाने चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ सलग्न दस्तावेज खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एल एस / 1044 / एक्ट / 2017 / 1045 दिनांक 08.11.2017 अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त घी के सैम्पल का नमूना एडी–1661 जाँच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण 1. श्री श्रवण राम पुत्र श्री घेवरराम घांची **(एफ बी ओ, मालिक एवं विक्रेता)** मै0 रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर कबीर चौराहा, गांव सालावास जिला जोधपुर निवासी– घांचीयों का उपरलावास , नन्दवान, सालावास, जोधपुर। 2. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री किशन (मालिक) मै0 पंकज ट्रैडर्स, 21 / 80 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर निवासी– देवासी मोहल्ला गांव बिखरनियां कलां, नागौर 3. श्री गोविंदराम पुत्र श्री मदनराम (फर्म मालिक), मै0 श्री भयाम फुड प्रोडेक्टर्स, ब्यावर रोड, तबीजी, अजमेर निवासी– कुम्हारों का वास, पो0 जसवंताबाद, मेडता, नागोर, राजस्थान द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) एवं धारा 51 के तहत निम्नस्तर पदार्थ बेचने के दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अप्रार्थी संख्या 1. श्री श्रवण राम पुत्र श्री घेवरराम घांची **(एफ बी ओ, मालिक एवं विक्रेता)** मै0 रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर कबीर चौराहा, गांव सालावास जिला जोधपुर निवासी– घांचीयों का उपरलावास , नन्दवान, सालावास, जोधपुर द्वारा खाद्य मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) का उल्लंघन करने का

अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर राशि रूपये 10,000/— अक्षरे रूपये दस हजार मात्र की शास्ती आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी संख्या 2. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री किशन (मालिक) मै0 पंकज ट्रैडर्स, 21/80 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर निवासी— देवासी मोहल्ला गांव बिखरनियां कलां, नागौर द्वारा खाद्य मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) का उल्लंघन करने का अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 पर राशि रूपये 10,000/— अक्षरे रूपये दस हजार मात्र की शास्ती आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी संख्या 3. श्री गोविंदराम पुत्र श्री मदनराम (फर्म मालिक), मै0 श्री भयाम फुड प्रोडेक्टर्स, ब्यावर रोड, तबीजी, अजमेर निवासी— कुम्हारों का वास, पो0 जसवंताबाद, मेडता, नागोर, राजस्थान द्वारा खाद्य मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) का उल्लंघन करने का अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 3 पर राशि रूपये 20,000/— अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र की शास्ती आरोपित की जाती है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के भीतर निर्धारित मद में जमा करवाकर चालान की कॉपी प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव**
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।**

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम—प्रथम/2018/ दिनांकः—

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री श्रवण राम पुत्र श्री घेवरराम घांची (एफ बी ओ, मालिक एवं विक्रेता) मै0 रामदेव किराणा एण्ड जनरल स्टोर कबीर चौराहा, गांव सालावास जिला जोधपुर। निवासी— घांचीयों का उपरलावास , नन्दवान, सालावास, जोधपुर।
4. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री किशन (मालिक) मै0 पंकज ट्रैडर्स, 21/80 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर। निवासी— देवासी मोहल्ला गांव बिखरनियां कलां, नागौर
5. श्री गोविंदराम पुत्र श्री मदनराम (फर्म मालिक), मै0 श्री भयाम फुड प्रोडेक्टर्स, ब्यावर रोड, तबीजी, अजमेर। निवासी— कुम्हारों का वास, पो0 जसवंताबाद, मेडता, नागोर, राजस्थान।

(छगन लाल गोयल)
**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव**
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।**